FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु जिला बाड़मेर

पेमाराम बनाम मानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवे. नं. 36 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री छगनाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RCR राजस्थान काश्तकारी/~~भू राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/03/21 को पेश हो। [signature] ... कलक्टर, (SDO) बायतु	
24/03/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी-गणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / विप्रार्थी गण बावजूद तामिल अनुपस्थित / चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 07/06/21 को पेश हो। [initials]	
07/06/2021	पत्रावली पेश हुई वकलाय फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 18/08/2021 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:09 IST
Reason: SelfAttested

18/08/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / न्यायालय समय लंच बाद इंतजार लगाई गई अंतिम आवाज 3.45 PM पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बाबत बहस पत्रावली दिनांक 18/11/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) [illegible]

18/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित / ~~प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सु~~ [illegible] पंचायत चुनाव प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 कैम्पों के कार्य होने से मिसल इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 16/02/2022 को पेश हो।

16/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए हैं खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाव बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ [illegible] हेतु से प्रार्थी के खातेदारी खेतों [illegible] पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर [illegible] पर शामिल पत्रावली हो, पत्राव[illegible] नम्बर से अप हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1653

दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. पेमाराम पुत्र तुलछाराम
जाति कुम्हार, निवासी खींपर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. मानाराम पुत्र ठाकराराम वगैरा 24
जाति भील, निवासी खींपर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 36/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – खींपर, पटवार मण्डल – खींपर , तहसील – बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 700/520, 723/520, 727/578, 693/519 रकबा क्रमशः 0.8009, 1.8203, 4.2958, 0.1861 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांकः– 16/02/2022

क्रमांक / वाद / 2021 / 1654-58

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पेमाराम पुत्र तुलछाराम
4. विप्रार्थी श्री मानाराम पुत्र ठाकराराम वगैरा 24
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु